

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से राज्य

बनाम

कुलवंत सिंह

फरवरी 11, 2003

[माननीय न्यायाधिपति एन. संतोष हेगडे व बी.पी. सिंह]

जसवीर सिंह बनाम विपिन कुमार जग्गी, [2001] 8 SCC 289

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1139/2000

आपराधिक अपील संख्या 248/1997 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 13.12.1997 से

संलग्न

आपराधिक अपील नम्बर 197/2003

अपीलकर्ता की तरफ से अलताफ अहमद, एसजी, सुश्री बीनू तमता, सुश्री सुषमा सुर्ज, हरजिन्दर सिंह, योगेश सक्सेना, सुश्री वन्दना शर्मा, नवदीप बरार, अजय शर्मा, सुनिल के. मेहता, अरूण के. सिन्हा एवं राकेश सिंह

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

माननीय न्यायाधिपति बी.पी. सिंह, एसएलपी (सीऔरएल) संख्या 3816 में विशेष अनुमति प्रदान की गयी।

1. इन दोनों अपीलों में विचारार्थ सामान्य प्रश्न उठते हैं अतः इन्हें एक साथ सुना गया है तथा इस निर्णय एवं आदेश द्वारा इनका निस्तारण किया जा रहा है।

2. 2000 की आपराधिक अपील संख्या 1139 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से राज्य द्वारा प्राथमिकता दी गई है और 1997 की आपराधिक अपील संख्या 248 में 13 दिसंबर 2000 को नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के

फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा 24 मई, 1997 को 1996 के सत्र मामले संख्या 73 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित प्रतिवादी की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को लगाए गए आरोप से बरी कर दिया। उसके खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 21 के तहत । यह माना गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (बाद में एनसीबी के रूप में संदर्भित) के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की गई शिकायत कानून के अधिकार के बिना थी क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत खोज, जब्ती और गिरफ्तारी के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता था। , एनसीबी सरकार का विभाग नहीं है। परिणामस्वरूप उनके द्वारा की गई सभी कार्यवाहियां अवैध थीं क्योंकि अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में की गई कार्यवाहियां उन अधिकारियों द्वारा की गई थी जो ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त नहीं थे।

3. 2002 की एसएलपी (सीऔरएल) संख्या 3816 से उत्पन्न आपराधिक अपील में, बेंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2001 की आपराधिक याचिका संख्या 669 में अपने फैसले और आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2001 द्वारा उसी की ओर से आग्रह किए गए एक समान विवाद को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने उस अपील में कहा था कि एनसीबी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति सहित जांच करने के लिए विधिवत् अधिकार दिया जा सकता है और दिया भी जा सकता है। यह माना गया कि एनसीबी एक वैधानिक प्राधिकरण नहीं था और वास्तव में सरकार का एक विभाग था। परिणामस्वरूप इसके अधिकारियों को इन कार्यों को करने के लिए अधिनियम के तहत अधिकृत किया जा सकता है। तदनुसार, कार्यवाही को रद्द करने और आरोप तय करने के आदेश के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक याचिका खारिज कर दी गई।

4. 2000 की आपराधिक अपील संख्या 1139 में प्रतिवादी को एनसीबी के अधिकारियों की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उसके वाहन की तलाशी लेने पर, अधिनियम के तहत आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, एक पॉलिथीन बैग बरामद किया गया जिसमें भूरे रंग का पदार्थ था। इसका मौके पर ही परीक्षण किया गया और परीक्षण में हेरोइन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। बरामद की गई कुल मात्रा 0.980 किलोग्राम थी। प्रतिवादी पर तदनुसार 1996 के सत्र मामले संख्या 73 में मुकदमा चलाया गया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा दोषी पाया गया, जिन्होंने उसे 10 साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 1 लाख रुपये और जुर्माना अदा न करने पर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 6 महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के संदर्भ में मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया क्योंकि उसने पाया कि पूरी कार्यवाही अवैध थी क्योंकि तलाशी, जब्ती, आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी और प्रतिवादी की गिरफ्तारी एनसीबी के अधिकारियों द्वारा की गई थी। जिसके पास ऐसी कार्रवाई करने और प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं थी।

5. अधिनियम की धारा 4 निम्नानुसार प्रावधान करती है:-

"4. केंद्र सरकार नशीली दवाओं आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकने और मुकाबला करने के लिए उपाय करेगी। -(1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जो वह आवश्यक या समीचीन समझे नशीली दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार को रोकने और मुकाबला करने का उद्देश्य ।

(2) विशेष रूप से और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार उप-धारा के तहत जो उपाय कर सकती है, उनमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में उपाय शामिल हैं, अर्थात्: -

(ए) विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यों

का समन्वय-

(i) इस अधिनियम के तहत, या

(ii) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में तत्समय लागू किसी अन्य कानून के तहत;

(बी) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत दायित्व;

(सी) नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता;

(डी) नशे की लत के शिकार लोगों की पहचान, उपचार, शिक्षा, देखभाल, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण;

(ई) ऐसे अन्य मामले जिन्हें केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार को रोकने और मुकाबला करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझती है ।

(3) केंद्र सरकार, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे नाम या नामों से एक प्राधिकरण या अधिकारियों के पदानुक्रम का गठन कर सकती है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के संबंध में उपाय करने के उद्देश्य से आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा कि आदेश में उल्लिखित किया गया है। और केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण और ऐसे आदेश के प्रावधानों के अधीन, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और आदेश में उल्लिखित उपाय कर सकते हैं जैसे कि ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को इस अधिनियम द्वारा उनको शक्तियों और उपायों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

6. अधिसूचना संख्या एसओ 96(ई) दिनांक 17 मार्च, 1986 द्वारा केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के माध्यम से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्राधिकरण का गठन किया। धारा 4 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट निम्नलिखित मामलों के संबंध में उपाय करने में केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए "नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो" के रूप में जाना जाता है :-

"(1) मूल अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और अन्य कानून के तहत विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यों का समन्वय मूल अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में फिलहाल लागू है।

(2) अवैध यातायात के विरुद्ध प्रति-उपायों के संबंध में दायित्वों का कार्यान्वयन :-

(ए) नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन, 1961;

(बी) उपरोक्त कन्वेंशन में संशोधन करने वाला 1972 का प्रोटोकॉल;

(सी) साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971; और

(डी) कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या प्रोटोकॉल या अन्य उपकरण जो स्वापक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संशोधन करता है, जिसे इसके बाद भारत द्वारा अनुमोदित या स्वीकार किया जा सकता है।

(3) नशीली दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता।

7. अधिसूचना में आगे कहा गया है कि एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और वाराणसी में होंगे। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि ब्यूरो का नेतृत्व एक

महानिदेशक करेगा, जिसे मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

8. हम इस स्तर पर देख सकते हैं कि धारा 4 की उप-धारा (2) का खंड (ई) 17 मार्च, 1986 को अधिसूचित सरकार के आदेश में शामिल नहीं किया गया था। धारा 4 की उप-धारा 2 का खंड (ई) इस प्रकार है:-

(ई) ऐसे अन्य मामले जिन्हें केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार को रोकने और मुकाबला करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझती है ।

9. प्रतिवादी का तर्क है कि धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ई) में शामिल मामलों को शामिल न किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उच्च न्यायालय के समक्ष एक तर्क पेश करने की मांग की गई थी, जिस पर हम विज्ञापन देंगे बाद में।

10. धारा 36ए के तहत अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा की जाती है जिसमें अपराध किया गया है। धारा 36ए(1)(ए) और (डी) प्रासंगिक हैं, और वे इस प्रकार हैं:-

"36ए. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी-

(ए) इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों का विचारण केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से किसी एक द्वारा विचारणीय होगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है इस हेतु सरकार द्वारा.

(बी) .....

(सी) .....

(डी) एक विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन पर या केंद्र सरकार या इस संबंध में अधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर, उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है।"

11. तदनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा 27 सितंबर, 1989 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत अधिनियम की धारा 36 ए की उप-धारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया। केंद्र सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स, राजस्व खुफिया, केंद्रीय और्थिक खुफिया ब्यूरो और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो विभागों में इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारियों को शिकायतें दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है। विशेष न्यायालयों के समक्ष अधिनियम के तहत एक अपराध।

12. अधिनियम की धारा 41 के तहत एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है जिसके लिए उसके पास कारण हो। अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध करने का विश्वास करता है, या किसी इमारत, वाहन आदि की दिन या रात में तलाशी लेता है, जिसमें उसके पास किसी नशीली दवा या मनोदैहिक पदार्थ पर विश्वास करने का कारण है जिसके संबंध में दंडनीय अपराध है। अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के घटित होने का सबूत दे सकती है, रखी या छुपाई गई है। धारा 41 की उपधारा (2) इस प्रकार प्रदान करती है:-

"41. वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति.-

(1) .....

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नशीले पदार्थ , सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार या सीमा सुरक्षा बल के किसी अन्य विभाग का राजपत्रित रैंक का कोई भी ऐसा अधिकारी जिसे केंद्र द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त बनाया गया हो। सरकार, या राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण , उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है , यदि उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान से विश्वास करने का कारण है या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी कि किसी व्यक्ति ने अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया है या कोई नशीली दवा, या मनोदैहिक पदार्थ जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज़ या अन्य लेख जो हो सकता है ऐसे अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसे किसी भवन, वाहन या स्थान पर रखा या छुपाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी भवन की तलाशी लेने के लिए अपने अधीनस्थ लेकिन चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक के किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। , वाहन या स्थान, चाहे दिन में या रात में, या स्वयं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें या किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लें।"

13. धारा 42 जो वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है, समान शर्तों में है और जिन अधिकारियों को अधिकृत किया जा सकता है, उन्हें ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स , सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग या सीमा सुरक्षा बल के विभाग, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है। धारा 42(1) को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"42. वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति।-(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नशीले पदार्थ , सीमा



शुल्किक वभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) । राजस्व आसूचना या केंद्र सरकार या सीमा सुरक्षा बल का कोई अन्य विभाग, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, या कोई ऐसा अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ पद का अधिकारी) राजस्व, औषधि नियंत्रण , उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है , यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी पर विश्वास करने का कारण है और यह लिखित में लिया गया है कि कोई भी मादक औषधि, या मनोदैहिक पदार्थ, जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, किसी में रखी या छिपाई गई है। भवन, परिवहन या बंद स्थान, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच -

(ए) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करेगा और तलाशी लेगा;

(बी) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ दें और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को हटा दें;

(सी) ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों और किसी भी अन्य वस्तु और किसी भी जानवर या वाहन को जब्त कर सकता है जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत जब्त की के लिए उत्तरदायी है और किसी भी दस्तावेज या अन्य लेख को जब्त कर सकता है जिसके लिए उसके पास कारण है विश्वास है कि ऐसी

दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के घटित होने का सबूत दिया जा सकता है; और

(डी) हिरासत में लेना और तलाशी लेना, और, यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है:

बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अपराधी के भागने के लिए सबूत या सुविधा छुपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। अपने विश्वास के आधारों को दर्ज करने के बाद सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच।"

14. धारा 53 इस प्रकार प्रदान करती है:-

"किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ कुछ विभागों के अधिकारियों को निवेश करने की शक्ति।-(1) केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श के बाद, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को निवेश कर सकती है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नशीले पदार्थ , सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या सीमा सुरक्षा बल या ऐसे किसी भी वर्ग के अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं।

(2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, औषधि नियंत्रण , राजस्व या उत्पाद शुल्क विभाग के किसी भी

अधिकारी या ऐसे अधिकारियों के किसी भी वर्ग को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश कर सकती है। इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच।"

15. अधिनियम की धारा 67 में प्रावधान है कि धारा 42 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत है, अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के दौरान स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांग सकता है कि क्या अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश का कोई उल्लंघन हुआ है और किसी भी व्यक्ति से उपयोगी या प्रासंगिक किसी दस्तावेज़ या चीज़ का उत्पादन या वितरण करने की आवश्यकता हो सकती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति से पूछताछ या परीक्षण करना।

16. इसमें कोई विवाद नहीं है कि भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के माध्यम से 1 नवंबर, 1986 को तीन अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर, 1985 को जारी की गई पिछली अधिसूचनाओं को संशोधित किया गया। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी शामिल किया जाए ताकि उक्त ब्यूरो के इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 41(2), 42(1) 67 और धारा 53 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने की शक्तियां प्रदान की जा सकें। . इस प्रकार तथ्यात्मक रूप से कोई विवाद नहीं है कि भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 41(2), 42(1), 67 और 53 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को सशक्त बनाने वाली अधिसूचनाएं जारी की हैं।

17. प्रतिवादी का मामला यह है कि ये अधिसूचनाएं जो एनसीबी के अधिकारियों को ऐसी शक्तियां प्रदान करती हैं, इस कारण से अमान्य और अवैध हैं कि एनसीबी कानून का एक प्राणी है, इसे सरकार का एक विभाग नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने एनसीबी को "कानून का प्राणी" बताया है। दूसरे,

हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था कि एनसीबी केवल एनसीबी के गठन की अधिसूचना में उल्लिखित कार्य ही कर सकता है। चूँकि इन कार्यों में अधिनियम की धारा 4(2)(ई) में उल्लिखित कार्य शामिल नहीं हैं, इसलिए उन कार्यों को करने की एनसीबी की शक्ति को धारा 41, 42, 53 या 67 के तहत अधिसूचना जारी करके नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करना उस अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन होगा जिसके तहत एनसीबी का गठन किया गया था।

18. सबसे पहले हम एनसीबी की कानूनी स्थिति पर विचार कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में इसे "कानून का प्राणी" के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है कि यह एक "वैधानिक प्राधिकारी" है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में यह विचार किया है कि यह एक "वैधानिक प्राधिकारी" नहीं है। "चूँकि यह अधिनियम द्वारा निर्मित या गठित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसे अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण का गठन करने का विवेक प्राप्त है। इसके अलावा, एनसीबी का कोई स्वतंत्र कार्यात्मक या स्वायत्त अस्तित्व नहीं है।

19. अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत हैं। अधिनियम की धारा 4(1) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का निर्माण नहीं करती है। यह केवल केंद्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने के लिए अधिकृत करता है जो वह नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार को रोकने और मुकाबला करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझे। धारा 4 की उपधारा 2 में केवल कुछ उपायों का उल्लेख है जो केंद्र सरकार उठा सकती है। उप-धारा 3 केंद्र सरकार को अपने विवेक से उप-धारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के संबंध में उपाय करने के लिए एक प्राधिकरण या अधिकारियों के पदानुक्रम का गठन करने के लिए सशक्त और सक्षम बनाती है, जैसा कि आदेश में उल्लिखित किया जा सकता है। प्राधिकरण के गठन के आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। इसलिए

धारा 4 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधिनियम स्वयं एक प्राधिकरण नहीं बनाता है, बल्कि केंद्र सरकार को अपने विवेक से ऐसा करने का अधिकार देता है। धारा द्वारा परिकल्पित प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी शक्ति के प्रयोग से किया जाता है, जो पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कार्यों की गणना करते हुए आधिकारिक राजपत्र में इसे प्रकाशित करके प्राधिकरण का गठन करने वाले अपने आदेश को अधिसूचित करता है। केंद्र सरकार का. इस प्रकार, प्राधिकरण का गठन अधिनियम द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि अधिनियम द्वारा निहित कार्यकारी विवेक के प्रयोग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसलिए एनसीबी अधिनियम द्वारा निर्मित या गठित एक प्राधिकरण नहीं है, बल्कि अधिनियम के तहत बनाया गया एक प्राधिकरण है।

20. इसके अलावा, विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाए गए वैधानिक प्राधिकरणों के विपरीत, एनसीबी एक निकाय कॉर्पोरेट नहीं है जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर है, जिसके पास संपत्ति हासिल करने, रखने और निपटान करने की शक्ति है और मुकदमा करने या मुकदमा करने में सक्षम है। यह स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट कानूनी इकाई नहीं है। एनसीबी का गठन करने वाले अधिसूचित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि एनसीबी का नेतृत्व एक महानिदेशक करेगा, जिसे मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। जिन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए वह अधिकृत है, वे केंद्र सरकार की ऐसी शक्तियां और कार्य हैं जो इसे गठित करने वाले आदेश में गिनाए गए हैं, और वह भी केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हैं ।

21. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या एनसीबी केंद्र सरकार का एक विभाग है। हमने पहले ही धारा 41 और 42 पर ध्यान दिया है, जो केंद्र सरकार को उन प्रावधानों के तहत प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उनमें नामित विभागों या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के अधिकारियों को सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है। धारा 36 ए(1)

(डी) विशेष अदालतों को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर या "केंद्र सरकार के एक अधिकारी द्वारा की गई शिकायत" पर अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि कानून का प्राणी होने के कारण एनसीबी सरकार का एक विभाग नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।

22. विभाग शब्द अपने स्वभाव से ही सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है। सरकारी कार्यों के संदर्भ में इसके सामान्य अर्थ को देखते हुए, यह सरकारी प्रशासन की एक शाखा या प्रभाग को दर्शाता है। सुविधा की दृष्टि से सरकारी कार्य को विषयानुसार या कार्यानुसार विभाजित किया जाता है और ऐसे प्रत्येक विभाजन को एक विभाग कहा जा सकता है। "विभाग" शब्द व्यापक अर्थ के साथ-साथ संकीर्ण अर्थ देने में भी सक्षम है। जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, उसके आधार पर शब्द का अर्थ भिन्न हो सकता है। भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियमों के नियम 2 में प्रावधान है - "भारत सरकार का व्यवसाय इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में किया जाएगा। "विभागों" के रूप में)।

23. विभाग शब्द की किसी सटीक परिभाषा के अभाव में इसे इसका प्राकृतिक और सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए, जब तक कि जिस कानूनी संदर्भ में शब्द का उपयोग किया जाता है, उसके लिए एक अलग अर्थ की आवश्यकता न हो।

24. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2.2.87 ने स्पष्ट किया कि महानिदेशक, एनसीबी, राजस्व सचिव की देखरेख में देश में नारकोटिक्स इंटेलिजेंस एजेंसियों को मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने और चलाने के लिए जिम्मेदार होंगे। . जैसा कि पहले देखा गया है, महानिदेशक को ऐसे अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जा सकता है। एनसीबी के संबंध में वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा महानिदेशक, एनसीबी को विभाग प्रमुख के रूप में भी घोषित किया गया है। यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि भारत के

राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व विभाग ( नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ) गुप सी और गुप डी भाग) भर्ती नियम 1992 बनाए हैं। , और राजस्व विभाग नारकोटिक्स केंद्रीय ब्यूरो (खुफिया अधिकारी) भर्ती नियम 1996। यह सब हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि एनसीबी भारत सरकार के राजस्व विभाग की एक शाखा या शाखा मात्र है। जैसा कि हमने पहले माना है, यह एक अलग कानूनी इकाई के रूप में गठित नहीं है, और इसलिए इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, राजस्व विभाग की एक शाखा या विंग के अलावा, जो इसे गठित करने वाले अधिसूचित आदेश द्वारा इसे सौंपे गए मामलों से निपटता है। इसलिए, अधिकारियों को धारा 36 ए, 41, 42 और 67 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देने वाली अधिसूचनाओं को कानूनी और वैध माना जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी और जब्ती और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा की गई गिरफ्तारियां अधिकृत और वारंटेड हैं। धारा 36 ए(1)(डी) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत भी अधिकृत है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह पंजाब राज्य और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा सैद्धांतिक रूप से समर्थित है । राजा राम और अन्य: (1981) 2 एससीसी 66 ।

25. हम इस स्तर पर उस निवेदन पर विचार कर सकते हैं जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, कि एनसीबी का गठन करने वाली अधिसूचना में अधिनियम की धारा 4(2)(ई) के तहत कार्यों को बाहर रखा गया है, एनसीबी की शक्ति नहीं हो सकती एनसीबी के अधिकारियों को प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने वाले अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करके अधीनस्थ कानून द्वारा विस्तार किया जाएगा। निवेदन यह है कि ये अधिसूचनाएं एनसीबी के अधिकारियों को वह करने का अधिकार देती हैं जो एनसीबी अपने चार्टर के तहत नहीं कर सकता है।

26. पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना इस आधार पर आगे बढ़ता है कि एनसीबी भारत सरकार का एक विभाग नहीं है। एक बार जब यह माना जाता है, जैसा कि

हमने माना है, कि एनसीबी राजस्व विभाग का एक विंग या शाखा है, तो सबमिशन विफल हो जाना चाहिए क्योंकि प्रासंगिक प्रावधान भारत सरकार के किसी भी विभाग के अधिकारियों के सशक्तिकरण को अधिकृत करते हैं।

27. अन्यथा भी समर्पण में कोई बल नहीं है। धारा 36 ए, 41, 42 और 67 के तहत जारी अधिसूचनाओं का उद्देश्य एनसीबी के गठन के 17 मार्च 1986 के अधिसूचित आदेश द्वारा एनसीबी को प्रदत्त शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना नहीं है। यदि सरकार का इरादा एनसीबी की शक्तियों या अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का था, तो उसे बस अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक समान अधिसूचना जारी करनी थी और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित करना था। उपरोक्त अधिसूचना जारी करके, सरकार ने राजस्व विभाग सहित सरकार के विभिन्न विभागों में अपने अधिकारियों के एक वर्ग को उपरोक्त धाराओं के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है, जिसमें एनसीबी एक विंग या शाखा है। केंद्र सरकार पर यह वैधानिक कर्तव्य डाला गया है कि वह नशीली दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार को रोकने और मुकाबला करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करे जो वह आवश्यक या समीचीन समझे। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को विधायी जनादेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना चाहिए और ऐसा करने के लिए उसे आवश्यक रूप से अपने अधिकारियों के माध्यम से कार्य करना चाहिए। अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि हमने पहले देखा है, केंद्र सरकार को ऐसे अधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए अधिकृत करता है। चूंकि अधिनियम स्वयं केंद्र सरकार को ऐसा अधिकार प्रदान करता है, इसलिए ऐसे अधिकार के प्रयोग में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। अपने अधिकारियों को इतना सशक्त बनाकर, केंद्र सरकार कानून द्वारा उस पर डाले गए दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का इरादा रखती है। केवल यह तथ्य कि एनसीबी के कुछ अधिकारी भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं,



17 मार्च, 1986 के केंद्र सरकार के अधिसूचित आदेश द्वारा प्रदत्त एनसीबी की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के समान नहीं है।

28. यह न्यायालय जसबीर सिंह बनाम में । विपिन कुमार जग्गी और अन्य: (2001) 8 एससीसी 289 ने इसी तरह का विचार व्यक्त किया जब उसने देखा:-

"24. अधिनियम की धारा 4(1) के तहत, केंद्र सरकार ऐसे सभी उपाय करने के लिए बाध्य है जो नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार को रोकने और मुकाबला करने के उद्देश्य से आवश्यक समझे जाते हैं। अधिसूचना द्वारा एसओ नंबर 96(ई) दिनांक 17-3-1985 के तहत केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 4(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का गठन किया। अधिनियम केंद्र सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन है।

29. इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि जब एनसीबी की शिकायत पर मामले शुरू होते हैं, तो यह केवल शिकायतकर्ता नहीं होता है, बल्कि कार्यकारी होता है और इसे अन्य गतिविधियों के बीच प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए वैधानिक रूप से दिए गए जनादेश के निर्वहन में कार्य करना चाहिए। , नशीली दवाओं का अवैध प्रसार और तस्करी।"

30. हमारे समक्ष यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 53 के तहत केंद्र सरकार एनसीबी सहित राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी को अपराधों की जांच के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का निवेश नहीं कर सकती है। अधिनियम। हमारे लिए उस प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि मौजूदा मामले में संज्ञान एक अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा

दर्ज की गई शिकायत के आधार पर लिया गया था, न कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर।

31. परिणाम में हम पाते हैं कि 1997 की आपराधिक अपील संख्या 248 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश पूरी तरह से अस्थिर है और रद्द किए जाने योग्य है। हम तदनुसार 2000 की आपराधिक अपील संख्या 1139 की अनुमति देते हैं, 13 दिसंबर 2000 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और मामले को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

32. 2002 की एसएलपी (सीऔरएल.) संख्या 3816 से उत्पन्न आपराधिक अपील में हमें कोई योग्यता नहीं मिली और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया है।

अपील खारिज

यह अनुवाद ऑटिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री विवेक कुमार त्रिपाठी (और.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।